150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा--माध्य/मा–स/पर्यावरण/2017/ 136 दिनांक : 11.06.21

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा

विषय :– वृक्षारोपण एवं अन्य व्यवस्था के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रदेश में मानसून कुछ ही समय में आने की सम्भावना है। विद्यालय परिसर में निम्नांकित कार्य त्वरित गति से किए जाने हेतु आप अपने अधीनस्थ संस्था प्रधानों को पाबन्द करें :–

1. विद्यालय में जल एवं भूमि की उपलब्धता के अनुसार मानसून से पूर्व वृक्षारोपण/किचन गार्डन तैयार करने की पूर्व तैयारी करें।
2. विद्यालय परिसर साफ सुथरा रहें एवं उसमें पेड़ पौधे लगाये जाकर विद्यालय परिसर को सुन्दर बनाये रखा जावे।
3. विद्यालय परिसर में नये प्रवेश एवं अन्य विद्यार्थियों से अधिकतम छायादार एवं फलदार पेड़ लगवाया जावे व सूचना पट्टिका पर विद्यार्थी का नाम अंकित कर पेड़ पर टांगी जावे।
4. पेड़ की सुरक्षा हेतु लोहे की जाली/कांटेदार बाड़ रक्षा कवच के रूप में लगाई जाए।
5. लगाये गये पौधे की सुरक्षा व रखरखाव की जिम्मेवारी विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से दी जावे।
6. इसके लिए संस्था प्रधान एवं समस्त स्टाफ भी सक्रिय रूप से कार्य करें।
7. संस्था में व इसके इर्द–गिर्द पॉलीथिन नजर नही आये व पॉलीथिन बैग का प्रयोग संस्था में न हो।

साथ ही लेख है कि वर्तमान समय में प्राकृतिक संसाधनों के लगातार दोहन एवं वन क्षेत्रों की कमी से पर्यावरण का सन्तुलन बिगड़ता जा रहा है। पर्यावरण सन्तुलन को बनाये रखने के लिये विद्यालय स्तर पर ही छात्र–छात्राओं में पर्यावरण की समझ पैदा करने के लिए पर्यावरण संरक्षण की कार्ययोजना के तहत प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय वाटिका (Kitchen Garden) एवं हरित विद्यालय योजना प्रारम्भ कर विद्यालय में इसे लागू किया जाना हैं।

गांधी वाटिका एवं बा–बापू वन की स्थापना :–

शहरी क्षेत्रों में गांधी वाटिका एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बा–बापू वन की स्थापना की जानी है। प्रत्येक वाटिका में कम से कम 150 फलदार पौधे रोपण कर उस वाटिका का नामकरण **"गांधी वाटिका"** किया जाए।

उद्देश्य :–

1. पर्यावरण की समझ पैदा करना।
2. पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझाना।
3. पर्यावरण संरक्षण द्वारा वातावरण को स्वच्छ बनाना।
4. समुदाय को पर्यावरण संरक्षण के कार्य से जोड़ना।
5. वृक्षारोपण एवं उनका संरक्षण।
6. विद्यालय की सहशैक्षिक गतिविधियों में पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा को अनिवार्य करना।

गतिविधियां :–

1. विद्यालय परिसर, खैल मैदान एवं विद्यालय के 200 मीटर की परिधि के क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य।
2. विद्यालय में वातावरण निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार की गतिविधियों जैसे–पर्यावरण संरक्षण से संबंधी वार्ताएं, निबन्ध प्रतियोगिता, रोलप्ले, रैली, शैक्षिक भ्रमण आदि।
3. विद्यालय में पर्यावरण सरंक्षण हेतु विद्यालय वाटिका क्लब या हरित विद्यालय क्लब जैसे– समुहों का गठन करना व इको क्लब को सक्रिय करना।
4. कम से कम 2 छात्र–छात्राओं (कक्षा 12 के छात्रों के अलावा) एवं उनके शिक्षकों को पौधे की देखभाल हेतु गोद देना।
5. विद्यालय की एसएमसी/एसडीएमसी/पीटीए तथा पूर्व छात्र–छात्राओं को भी इस कार्यक्रम से जोड़कर उनसे भी वृक्षारोपण करवाना तथा उनकों भी पौधे गोद देना।

संस्था प्रधान के दायित्व :–

1 समस्त विद्यालयों में वृक्षारोपण कार्यक्रम की प्रभावी मॉनीटरिंग तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन।
2. ग्राम सभा की बैठक में गड्डे खुदवाने हेतु प्रस्ताव रखवाना।
3. पंयायत के माध्यम से महानरेगा, एसएफसी, एफएफसी व एसएमसी/एसडीएमसी तथा समुदाय के सहयोग से गड्डे खुदवाना एवं पौधे लगवाना।
4. पौधों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करना।
5. कार्यक्रम की उचित मॉनिटरिंग करें ताकि कार्यक्रम औपचारिकता बनकर ना रहें।
6. गुणवत्ता युक्त 3 फीट उंचे पौधें कहां से लाने हैं, उस नर्सरी का चयन कर मांग प्रस्तुत करें।
7. पौधों/औजारों की खरीद के लिए राशि एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा (स्वैच्छिक अनुदान, अक्षय पेटिका एवं विकास कोष) खर्च की जावें।
8 वृक्षारोपण कार्यक्रम की प्रत्येक माह एसएमसी/एसडीएमसी बैठक में समीक्षा करना।

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के दायित्व :–

1. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा पीईईओ से पाक्षिक फीडबैक एवं मॉनिटरिंग करवाना।
2. ब्लॉक के समस्त विद्यालयों में वृक्षारोपण हेतु नरेगा अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों को विकास अधिकारी से स्वीकृति निकलवाना।
3. ब्लॉक के समस्त अधिकारियों को आवश्यक पौधों की मांग मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करना।

माहवार प्रस्तावित गतिविधियाँ

क्र.सं.	गतिविधियाँ	माह
1	• एसएमसी/एसडीएमसी की बैठक में वृक्षारोपण पर चर्चा। • पौधों की सुरक्षा हेत ट्री गार्ड एवं चार दिवारी की व्यवस्था सुनिश्चित करें।	जून माह
2	• वातावरण निर्माण छात्र–छात्राओं व अध्यापकों द्वारा प्रभात फेरी व रैली का आयोजन। • विद्यालय वाटिका क्लब या पर्यावरण संरक्षण क्लब का कक्षानुसार गठन। • वृक्षारोपण हेतु लक्ष्य निर्धारण (पानी की उपलब्धता एवं स्थान को देखते हुए) व विद्यालय का नजरी नक्शा बनाना। • विद्यालय में सहशैक्षिक गतिविधियाँ यथा– निबंध प्रतियोगिता, रोलप्ले आदि का आयोजन। • संसाधनों का आंकनल व योजना निर्माण जेसे विद्यालय के खाली परिसर के अनुपात में गड्डे खुदवाना तथा पौधों की व्यवस्था करना।	जून माह

3	• प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा ग्राम पंचायत से संपर्क करना (नरेगा/एसएमसी/एसडीएमसी) • 20 से 25 जून तक वृक्षारोपण हेतु गड्डे खुदवाना।	जून
4	• प्रथम सप्ताह में (मानसुन के अनुसार) विद्यालय स्तर पर सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन करना। • एसएमसी/एसडीएमसी के सदस्यों की वृक्षारोपण कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित की जाए। • स्थानी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर वृक्षारोपण करावें। • कक्षा एवं विद्यार्थी समूह को पौधे गोद देकर उनका संरक्षण सुनिश्चित करवाना तथा शिक्षकों को समूह का प्रभारी नियुक्त करना। • विद्यालय के किसी एक शिक्षक अथवा शारीरिक शिक्षक को वृक्षारोपण प्रभारी नियुक्त करना। • विद्यालय के अनुपयोगी पानी को पौधों के लिए उपयोग हेतु कार्ययोजना बनाना। • विद्यालय वाटिका/किचन गार्डन का निर्माण करना।	10 जुलाई तक
5	• पौधों के नाम व बायोलोजिकल नाम का टेग बनाकर पौधों के पास लगवाना। • पीटीए की बैठक में विद्यालय वृक्षारोपण कार्यक्रम की जानकारी देना।	अगस्त
6	• 16 सितम्बर को ओजोन दिवस के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना। • एसएमसी/एसडीएमसी बैठक में वृक्षारोपण कार्यक्रम की समीक्षा एवं भामाशाह सहयोग हेतु प्रयास।	सितम्बर
7	• लगाये गये पौधों में से मृत पौधों के स्थान पर नये पौधों को लगाना एवं उनकी पुनः जिम्मेदारी देना	अक्टूबर
8	• 26 नवम्बर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस का आयोजन करना जिसमें विभिन्न गतिविधियों वन भ्रमण, पर्यावरण संरक्षण में श्रेष्ठ कार्य करने वाले विद्यालय का भ्रमण, रंगोली, पोस्टर निर्माण आदि गतिविधियों का आयोजन कर कम से कम 3 फोटो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर को प्रस्तुत कराना।	नवम्बर
9	• शीतकालीन अवकाश में पौधों की सार-संभाल हेतु विशेष कार्यदलों का गठन (छात्र, शिक्षक, एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों में से)	दिसम्बर
10	• 26 जनवरी के दिन वृक्षारोपण में श्रेष्ठ कार्य करने वाले विद्यार्थियों, अध्यापकों, एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों एवं भामाशाहों का सम्मान करना।	जनवरी
11	• ब्लॉक निष्पादन समिति में समस्त पीईईओ के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम की समीक्षा करना।	फरवरी
12	• निर्धारित प्रपत्र में सूचना पोर्टल पर आदिनांक तक करें।	मार्च

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिशद् सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।

3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव कला एवं संस्कृति विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. राज्य समन्वयक शांति एवं अंहिसा प्रकोष्ठ, **जयपुर।**
5. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद,जयपुर।
6. निजी सहायक, निदेशक प्रारंम्भिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर।
7. शासन उप सचिव–प्रथम, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. प्रधानाचार्य, राजस्थान उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
9. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
10. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
11. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
12. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक) शिक्षा।
13. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी समग्र शिक्षा।
14. प्रधानाचार्य, सार्दुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर।
15. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
16. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
17. कार्यालय प्रति।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर